भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3010

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व लक्ष्य को पूरा करने वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहन</u>

3010. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) लक्ष्यों को पूरा करने या उससे अधिक करने वाले राज्यों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो अधिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए विचार किए जा रहे विशिष्ट वित्तीय या विनियामक प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का राज्य सरकारों द्वारा मुक्त पहुंच परियोजनाओं के माध्यम से वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सहज अनुमोदन, कम विनियामक शुल्क और अधिक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन या नीतिगत अंतःक्षेप शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य ग्रिडों के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा को प्रभावी ढंग से एकीकृत और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और संस्थागत क्षमता के निर्माण में राज्य विद्युत नियामकों, डिस्कॉम और नीति निर्माताओं की सहायता करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार जीवाश्म ईंधन पर निर्भर राज्यों के लिए अंतर्विराम के एक प्रमुख समस्या होने के दृष्टिगत स्थिर और विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण की तैनाती, पूर्वानुमान तंत्र में सुधार और ग्रिड नम्यता बढ़ाने में राज्यों की किस प्रकार सहायता कर रही है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) नवीकरणीय खरीद बाध्यता को पूरा करने में कोई कमी, जो संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है या ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है, जो भी अधिक हो, विद्युत अधिनियम, 2003 अथवा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001, जैसा भी मामला हो, पर जुर्माना लागू हो सकता है। तथापि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के अनुसार, एक बाध्य इकाई, जो वितरण लाइसेंसधारी या खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) उपभोक्ता है, जो संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्धारित या ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित, जो भी अधिक हो, अक्षय खरीद दायित्व से अधिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली खरीदती है, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऐसी अतिरिक्त बिजली की खरीद की सीमा तक अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए पात्र होगी। इस प्रकार जारी किए गए प्रमाणपत्रों का कारोबार विद्युत एक्सचेंजों या द्विपक्षीय रूप से किया जा सकता है।

(ख) सरकार ने दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुँच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 को अधिसूचित किया और उसके बाद उसमें संशोधन जारी किए। इन नियमों की प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये राज्य सरकारों द्वारा खुली पहुँच परियोजनाओं के माध्यम से वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आसान अनुमोदन, कम विनियामक शुल्क और अधिक आसान पहुँच सुनिश्चित करते हैं, जिनमें अन्य साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. ओपन एक्सेस की अनुमति किसी भी उपभोक्ता को दी जाती है, जिसकी अनुबंध मांग 100 किलोवाट या उससे अधिक हो, जो वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत प्रभाग में स्थित एकल या एकाधिक एकल कनेक्शन के माध्यम से हो तथा कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए ऐसी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।

2. उपभोक्ता, डिस्कॉमों से हरित विद्युत की आपूर्ति की मांग के पात्र हैं तथा डिस्कॉम मांग की आपूर्ति करने के लिए बाध्य हैं।
3. ओपन एक्सेस के लिए अनुमोदन 15 दिनों में दिया जाना है, अन्यथा इसे स्वीकृत मान लिया जाएगा।
4. वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक आधार पर ग्रीन विद्युत खरीदने की अनुमति है।
5. अक्षय खरीद दायित्व से आगे ग्रीन विद्युत की खपत के लिए उपभोक्ताओं को ग्रीन प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।
6. यदि ऐसे उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।
7. यदि हरित ऊर्जा का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

अब तक 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस विनियम जारी किए जा चुके हैं।

(ग) राज्य विद्युत विनियामकों, डिस्कॉम और नीति निर्माताओं को सहायता देने के लिए, जिसमें राज्य ग्रिडों के भीतर अक्षय ऊर्जा को प्रभावी ढंग से एकीकृत और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और संस्थागत क्षमता का निर्माण करना शामिल है, विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा इन मंत्रालयों के अंतर्गत विभिन्न संस्थान समय-समय पर वेबिनार/कार्यशालाएं/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/अध्ययन दौरे आयोजित कर रहे हैं।

(घ) ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण की स्थापना में राज्यों की सहायता करने, पूर्वानुमान तंत्र में सुधार करने और स्थिर तथा विश्वसनीय अक्षय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड नम्यता बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क. ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क प्रकाशित करना।
ख. निर्माण कार्य के आवंटन की तिथि से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए 12 वर्षों की अवधि और पंप्ड हाइड्रो भंडारण प्रणाली के लिए 25 वर्षों की अवधि के लिए आईएसटीएस शुल्कों में छूट प्रदान करना।
ग. लगभग 13 गीगावाट घंटा के बीईएसएस के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि उपलब्ध कराना।
घ. अक्षय ऊर्जा उत्पादन के बेहतर पूर्वानुमान और वास्तविक निगरानी के लिए तेरह अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (आरईएमसी) स्थापित किए गए हैं।
ङ. लोड डिस्पैच सेंटर यह सुनिश्चित करते हैं कि जब पवन न चल रही हो और सूर्य की रोशनी न हो, तो जल विद्युत और थर्मल पावर जैसे प्रेषण योग्य स्रोतों का उपयोग करके बिजली की मांग पूरी तरह से पूरी की जाए।
च. ग्रिड की विश्वसनीयता और वोल्टेज स्थिरता सीमा में सुधार के लिए स्टेटिक सिंक्रोनस कम्पेंसेटर (स्टेटकाम) की स्थापना। स्टेटकॉम बिजली ग्रिड के लिए वोल्टेज नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, जो सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त बिजली को जल्दी से जोड़ता या हटाता है।
छ. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं।
ज. कोयला और लिग्नाइट विद्युत संयंत्रों में न्यूनतम निर्धारित नम्यता (फ्लेक्सिबिलिटी) अनिवार्य करना।

*****